रजिस्टर्ड नं0 एल0 33/एस0 एम0/13-14/99.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 10 जनवरी, 2000/20 पौष, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 नवम्बर, 1999

संख्या एफ0 एफ0 ई0-ए0 (सी0) 7-1/96-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) के नियम 32 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (आग से संरक्षण) नियम, 1999 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम प्रथम जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि के सिवाय सारे वर्ष के दौरान लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम, 1927 (1927 का XVI) अभिप्रेत है ;

(ख) "वन मण्डल अधिकारी" से अभिप्रेत है,

(*i*) किसी वन मण्डल का वन मण्डल अधिकारी,

(*ii*) हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का मण्डलीय प्रबन्धक, और

(*iii*) कलैक्टर (जिसकी अधिकारिता में वन पड़ता है) ;

(ग) "वन" से अधिनियम के अधीन ऐसे रूप में अधिसूचित आरक्षित वन या संरक्षित वन अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

2. उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त है, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. आग जलाने का प्रतिषेद्ध.—(1) वन मण्डल अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना वन से एक सौ मीटर के भीतर आग जलाना प्रतिषिद्ध होगा।

(2) किसी वन की सीमा से एक सौ मीटर के परे भी आग जलाने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान और ऐसीने सीमा के बीच रास्ते (फायर पाथ) को साफ करके, जो चौड़ाई में दस मीटर से कम न हो, आग के फैलने से बचा केलिए चौकीदारों को नियोजित कर या अन्यथा पूर्वावधानी बरतेगा।

4. वन के नजदीक कृषि अवशिष्ट, झाड़ियां या घासनियां जलाने में बरती जाने वाली पूर्वावधानी.—कोई व्यक्ति कृषि अवशिष्ट के जलाने या घासनियों को आग लगाने या किसी भूमि को जलाकर साफ करने के लिए वन की सीमा से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर आग नहीं लगाएगा; जब तक कि,

(क) वह आग जलाने या आग जलाकर भूमि साफ करने का अपने आशय का नोटिस, ऐसा करने से पूर्व कम से कम एक सप्ताह पूर्व नजदीक के वन परिक्षेत्र अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के अधीन ऐसी भूमि आती है, दे नहीं देता; और

(ख) ऐसी सीमा और ऐसे स्थान जिस पर ऐसे पदार्थ प्रज्वलित किए जाते हैं, के बीच चौड़ाई में कम से कम दस मीटर का स्थान न हो जो ऐसे स्थान से वन की आग पहुंचाने के लिए समर्थ वनस्पति से रहित हो ।

5. वन की सीमा के बाहर या वन में ज्वलनशील वन उपज, ज्वलनशील सामग्री के संग्रह और ढेर आदि लगाने पर प्रतिबन्ध.—वन के साथ लगती भूमि पर ज्वलनशील सामग्री अर्थात् वन उपज जैसे कि घास, सूखे पत्ते, चीड़ (पाइन) की पत्तियां, आग जलाने की लकड़ी, इमारती लकड़ी, बांस और बिरोजा (रेजिन) इत्यादि इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति या वन अधिकारी द्वारा जारी पास या अनुज्ञा-पत्रधारक, या किसी वन से एसी

वन उपज को एकत्रित करने के अपने विशेषाधिकार या अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति इसका वन में ऐसे खुले स्थान पर ढेर लगाएगा जिसे वन मण्डल अधिकारी साधारण और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे ढेरों को ऐसी रीति में पृथक-पृथक करवाएगा कि यदि यह आग पकड़े तो आग वन को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके आस-पास के क्षेत्रों में न फैले।

6. कैम्प स्थानों पर पूर्वावधानी बरतना.—(1) कोई भी व्यक्ति, विनिर्दिष्टयां साफ और पृथक रखे गए तथा वन मण्डलाधिकारी द्वारा तथाकथित प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से अधिसूचित शिविर लगाने के स्थान के सिवाय किसी वन में शिविर नहीं लगाएगा।

(2) कोई व्यक्ति ऐसे शिविर लगाने के स्थान (कैम्पिंग प्लेस) पर शिविर लगाता है तो वह खाना पकाने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी रीति में आग जलाएगा जिससे कि वन या शिविर के स्थान पर किसी भवन, शैड और सम्पत्ति को कोई खतरा न हो।

(3) शिविर लगाने के स्थान पर शिविर लगाने वाला कोई व्यक्ति, इसे खाली करने से पूर्व, शिविर लगाने के स्थान के बीच में पीछे रह जाने वाली समस्त ज्वलनशील सामग्री को एकत्रित करेगा और स्थल पर सारी आग को सावधानीपूर्वक बुझाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-A (C) 7-1/96-II, dated 17-11-1999 as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th November, 1999

No. FFE-A(C)7-1/96-II.—In exercise of the powers conferred by clause (*h*) of section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely :—

1. *Short title, commencement and application.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Forests (Protection from Fire) Rules, 1999.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

(3) These rules shall be applicable throughout the year except for the period from 1st of July to 13th of September.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant in subject or context,—

(*a*) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927);

(*b*) "Divisional Forest Officer" means,

(*i*) Divisional Forest Officer of a Forest Division,

(*ii*) Divisional Manager of the Himachal Pradesh State Forest Corporation Ltd., and

(*iii*) Collector (in whose jurisdiction forest lies);

(*c*) "Forest" means a reserved forest or protected-forest, duly notified as such under the Act;

(*d*) "Section" means section of act; and

(*e*) "Schedule" means Schedule appended to these Rules.

(2) The words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. *Prohibition of kindling of fire.*—(1) Kindling of fire within one hundred meters from a forest without permission of the Divisional Forest Officer, or his authorised representative shall be prohibited.

(2) Any person lighting a fire even beyond one hundred meter from the boundary of a forest shall take precautions by clearing a fire path, not less than 10 meters in width between such place and such boundary, of by employing watchers or otherwise, to prevent the fire from spreading.

4. *Precautions to be taken in burning agriculture residue bushes or "ghasnies" near forest.*—No person shall ignite agriculture residue or set fire to "ghasnies", or clear by fire any land, within a distance of one hundred meters from the boundary of the forest, unless:—

(*a*) he gives notice of his intention to burn or clear the land by fire, at least one week before doing so, to the nearest Forest Range Officer under whose jurisdiction such land lies; and

(*b*) there is between such boundary, and the spot on which such materials are ignited, a space at least ten meters in width which is clear of all vegetation capable of carrying fire from such spot to the forest.

5. *Restriction on collection and stacking of in inflammable forest produce of inflammable material outside the boundary of or in the forest*—Any person collecting such inflammable material, that is to say, forest produce such as grass, dried leaves and pine needles, firewood, timber, bamboo and resin, on a land adjoining a forest, or a holder of a pass or permit issued by a Forest Officer, or a person exercising his privilege or right to collect such forest produce from a forest, shall stack it at, as the case may be, in an open space in the forest as the Divisional Forest Officer may, by general or special order, specify, and shall isolate such stacks in such manner that, if it catches fire, the fire shall not spread to the surrounding area to endanger the forests.

6. *Precautions to be taken at camping places.*—(1) No person shall camp in a forest, except in a camping place specially cleared and set apart and duly notified for the said purpose by the Divisional Forest Officers.

(2) A person camping at such camping place may light fire for the purpose of cooking or for any other purpose in such a manner as not to endanger the forest or any building, shed and property at the camping place.

(3) A person camping at the camping place shall, before vacating it, collect in the center of the camping place all inflammable material, which is to be left behind, and shall carefully extinguish all fires at the site.

By order,

Sd/-

Commissioner-cum-*Secretary.*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित